

क्रमांक/ 40 /टीसी/2019

नवा रायपुर, दिनांक 19/03/2020

प्रति,

1. क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी
रायपुर/बिलासपुर/जगदलपुर/दुर्ग/अंबिकापुर, छ0ग0
2. अतिरिक्त क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी
राजनांदगांव, छ0ग0
3. जिला परिवहन अधिकारी
दन्तेवाडा/कांकेर/बीजापुर/नारायणपुर/सुकमा/कोण्डागंज
धमतरी/महासमुंद/बलोदा-बाजार/गरियाबंद/कबीरधाम/बालोद
बेमेतरा/जांजगीर-चांपा/कोरबा/रायगढ़/मुंगेली/जशपुर/कोरिया
सूरजपुर/बलरामपुर छ0ग0

विषय:- कोरोना वायरस (COVID-19) से बचाव को दृष्टिगत रखते हुए अन्तर्राज्यीय बस परिवहन सेवा को स्थगित रखने के संबंध में।

--0--

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि कोरोना वायरस (COVID-19) के संक्रमण का प्रभाव छत्तीसगढ़ राज्य के कई सीमावर्ती राज्यों में प्रकाश में आया है, जिसे दृष्टिगत रखते हुए संक्रमण पर प्रभावी रोकथाम हेतु लोकहित में यह आवश्यक है कि छत्तीसगढ़ राज्य में अन्य राज्यों से आने तथा जाने वाले बस परिवहन को स्थगित किया जावे।

अतः तत्काल प्रभाव से अन्तर्राज्यीय एवं अखिल भारतीय पर्यटक परमिट से आच्छादित समस्त यात्री वाहनों का संचालन आगामी आदेश तक स्थगित रखा जाता है।

(डॉ. कमलप्रीत सिंह)
परिवहन आयुक्त सह
अध्यक्ष, राज्य परिवहन प्राधिकार
छत्तीसगढ़, रायपुर

पृ.क्र./40-A/टीसी/2019

नवा रायपुर, दिनांक 19/03/2020

प्रतिलिपि :-

1. परिवहन आयुक्त, ओडिशा, महाराष्ट्र, झारखण्ड, बिहार, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, आन्ध्रप्रदेश, मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ।
2. समस्त कलेक्टर छत्तीसगढ़ की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
3. समस्त पुलिस अधीक्षक की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

(डॉ. कमलप्रीत सिंह)
परिवहन आयुक्त सह
अध्यक्ष, राज्य परिवहन प्राधिकार
छत्तीसगढ़, रायपुर